

11/3/2018 ५५२ / जगदीश वर्मा

दिनांक	आज्ञा पत्र	
10.6.24	<p>पत्रावली पेश। वकिलों अपीलान्त एव अपीलान्त स्वयं की वार वार अर्पण दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक वार वार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण कैसल मुबार होकर नम्बर से कम हक वक्त तर्तीय तकनीक दखिल दफतर में।</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प सुन्सुत्र)</p>	